59

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

===

पुनरीक्षण प्र०क्र० निग/2671/II/15 सन 14

श्रीमती कल्पना असाटी पत्नि श्री दीनदयाल असाटी
उम्र 42 वर्ष निवासी नौगांव, रोड छतरपुर म०प्र० (ऊपर लिखा: बसस्टैण्ड) -- आवेदिका

बनाम

1. रसीद अहमद तनय श्री अब्दुल रहमान उम्र 40 वर्ष,
निवासी मऊदरवाजा, मस्जिद के पास छतरपुर म०प्र०

2. फैयाज अली तनय हाजी नूर अली निवासी नया मुहल्ला छतरपुर म०प्र०

3. अवधेश अग्रवाल तनय श्री स्व. संतोष अग्रवाल,

4. राकेश अग्रवाल तनय स्व. श्री जानकी अग्रवाल,
निवासीगण हटवारा के मुहल्ला वार्ड नं. 11,
छतरपुर जिला छतरपुर म०प्र०

5. मध्य-प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
छतरपुर म०प्र० -- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50म०प्र०भू०रा०सं०

- - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानी तहसीलदार छतरपुर के रा०प्र०क्र० - 04/अ-3/12-13 मे पारित आदेश दिनांक- 21.2.14 के विरुद्ध

- - - - - - - - - - - - - - - - -

महोदय,

आवेदिका निम्न कारणों पर यह निगरानी प्रस्तुत कर निवेदित है :-

1. यहकि भूमि खसरा न. 2097/3/2 एवं भूमि खसरा क्र.-2096 स्थित आराजी ग्राम सौरा रा०नि०मं० छतरपुर के द्वारा राजस्व अभिलेख तरमीम दिनांक 2.02.14 को पटवारी हल्का सौरा एवं -राजस्व निरीक्षक छतरपुर के पंचनामा के आधार पर बिना आवेदिका को सूचना दिये गुप्त रूप से दिनांक 21.2.14 को [illegible], [illegible] से

मुकेश भार्गव
19-8-15

मुकेश भार्गव
19-8-15 एडवोकेट
ग्वालियर

कल्पना असाटी

...2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ...2671/दो/15.....जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-9-16.	1– उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 04/अ–3/वर्ष 12–13 में पारित आदेश दिनांक 21/2/14 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक के तर्क में कहा गया कि ग्राम सौर स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 2097/1 रकवा 0.011हे एंव 2097/4 रकवा 0.015 हे की तरमीम किए जाने हेतु अनावेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर तरमीम आदेश तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक का तर्क है भूमि खसरा क्र 2097/3/2 एंव 2096 कुल रकवा 0.03 आरे भूमि उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी थी तथा 35X80 वर्ग फुट पर उसके द्वारा बाउड्री बॉल का निर्माण किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार द्वारा पारित तरमीम आदेश की कोई सूचना आवेदक को नहीं दी गयी जिस कारण से उसके द्वारा आदेश के पुर्नविलोकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 4– आवेदक द्वारा तर्क में यह भी कहा गया कि चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश छतरपुर द्वारा व्यवहार अपील क्र 08/11 में दिनांक 11/7/11 को आवेदक के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है जिसका का भी किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तरमीम आदेश पारित किया है। उपरोक्त आधारों पर उनके द्वारा यह निगरानी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है। 5– अनावेदक द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि तहसीलदार छतरपुर द्वारा तरमीम आदेश विधि सम्मत् रूप से समस्त विधिक कार्यवाही उपरांत पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई व्यवहार वाद विचाराधीन नहीं है और ना ही व्यवहार न्यायालय द्वारा	

निग. - 2671 - II/15 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कोई आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि उनकी भूमि की तरमीम नक्शे में लाल स्याही से स्वीकृत की गयी है जिससे आवेदक का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। आवेदक व्यक्तिगत् बदयंती के कारण अनावेदक के विरूद्व विभिन्न प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत कर रहा है, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उनके द्वारा निगरानी को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। 5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का एंव अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार छतरपुर द्वारा अनावेदकगण के आवेदन पत्र के आधार पर तरमीम आदेश पारित किया है तथा आवेदक द्वारा उक्त आदेश के पुर्नविलोकन हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार द्वारा पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदाय किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रेषित किया गया जिसमें अनु.वि.अधि. द्वारा पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदाय किए जाने पर अनावेदकगण द्वारा राजस्व. मंडल में निगरानी प्र.क्र 3429–तीन/14 प्रस्तुत की गयी जिसमें दिनांक 14/10/14 को आदेश पारित कर पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदाय किए जाने के पूर्व उभयपक्ष को सुने जाने का आदेश पारित किया गया है तथा उक्त आदेश के आधार पर प्रकरण वर्तमान में तहसीलदार छतरपुर के समक्ष विचाराधीन था परंतु आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। तहसीलदार के आदेश के विरूद्व आवेदक को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, परंतु आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो कि प्रचलन योग्य नहीं है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–2–14 स्थिर रखा जाता। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	